संख्या- 95/2015/388/22-4-15-22/99

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 **लखनऊ दिनांक- 29 मार्च, 2015**

विषय- प्रदेश की कारागारों में निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहनों के क्रय की पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9098/नजारत-4/55/वा0का0/2014, दिनांक 19.3.2015 एंव पत्र संख्या- 10388/नजारत-4/55/वा0का0/2014, दिनांक 23.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-"2056-जेलें-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-मुख्य-14-कार्यालय प्रायोगार्थ स्टाफकार/मोटर गाडियों का क्रय" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 लाख में से रू0 14.73 लाख का पुनर्विनियोग(संलग्न विवरण) लेखाशीर्षक-" 2056-जेलें-101-समस्त कारागार-आयोजनेत्तर-03-मुख्य-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकार/मोटर गाडियों का क्रय" मद में किये जाने तथा संगत मद में रू0 5,43,667/- की धनराशि होने के फलस्वरूप कुल रू0 20,16,667/- की धनराशि का प्राविधान उपलब्ध है।

2- अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मद में प्राविधानित धनराशि से 03 नग बोलरो एलएक्स डब्लूडी बीएस-4 एनएसी(प्रति नग मूल्य रू0 5,93,399/- के क्रय के लिए रू0 17,80,197/-(रूपया सत्रह लाख अस्सी हजार एक सौ सत्तानवे मात्र) एवं 4 नग मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस ड्रम किक कास्ट(प्रति नग मूल्य रू0 45,048.49) क्रय के लिए रू0 1,80,197/-(रूपया एक लाख अस्सी हजार एक सौ चौरानवे मात्र) अर्थात कुल रू0 19,60,391/-(रूपया उन्नीस लाख साठ हजार तीन सौ इक्यानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) वाहन क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 की दरों पर किया जायेगा। यदि वाहन के मूल्य में किसी आदेश द्वारा कमी या संशोधन किया जाता है तो तद्नुसर कम संशोधित दरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु धनराशि आहरित की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस कार्यक्रम/योजना/सेवा के अन्तर्गत वाहन क्रय किया गया था वह विद्यमान है और उसके लिए वाहन की आवश्यकता है।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी वाहन का प्रतिस्थापन एक से अधिक बार न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निष्पयोज्य वाहनों का अधिकतम 03 माह की अवधि में निस्तारण कर धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी और उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। वाहनों के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(5) वाहनों का क्रय दिनांक 31.3.2015 तक कर लिया जायेगा।

(6) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- शासनादेश दिनांक 03 मार्च, 2015 द्वारा जिला कारागार, सोनभद्र की अस्थाई पानी की व्यवस्था के लिए 01 नग वाटर टैंकर के क्रय हेतु रू0 14,52,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, परन्तु टाटा मोटर्स लि0 द्वारा एक्साइज ड्यूटी की दरों में बढ़ोत्तरी आदि के कारण रू0 55,990/-(रूपया पचपन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) की अतिरिक्त मांग की गयी है। अतः उक्त कार्य के लिए श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त रू0 55,990/-(रूपया पचपन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) की धनराशि भी उपरोक्त शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करते हैं।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056-जेलें-101-समस्त कारागार-आयोजनेत्तर-03-मुख्य-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकार/मोटर गाड़ियों का क्रय मद में अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जान रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-**95**/2015/388(1)/22-4-2015-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in